संख्या-15 /2018/आ0मि0-188 /96-आयुष-2-2018-35(बी)/2014

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी,
लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 07 मार्च, 2018

विषय:- इण्डियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल, कार्पोरेशन लि0 मोहन, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड को उत्तर प्रदेश में आयुष औषधियों के क्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-528/03/मि0नि0/2017-18, दिनांक 23 फरवरी, 2018 जिसमें आयुर्वेद एवं यूनानी औषधियों के क्रय हेतु इण्डियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल, कार्पोरेशन लि0 को आपूर्तिकर्ता फर्म नामित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-8/2018/आ0मि0-57/96-आयुष-2-2018-35(बी)/2014, दिनॉक 13.02.2018 को संशोधित किये जाने विषयक का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या-8/2018/आ0मि0-57/96-आयुष-2-2018-35(बी)/2014, दिनॉक 13.02.2018 को आंशिक संशोधित करते हुए शासनादेश दिनॉक 13.02.2018 की शर्तो के स्थान पर निम्नलिखित शर्ते निर्धारित की जाती है:-

1- धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनॉक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व मिशन निदेशालय का होगा।

2- आपूर्तिकर्ता फर्म को भुगतान समयबद्ध आपूर्ति किये जाने की अण्डरटेकिंग/एम0ओ0यू0 लिए जाने के पश्चात ही किया जायेगा।

3- राष्ट्रीय आयुष मिशन-कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा एवं सामान्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- आयुष मिशन की कार्यकारी निकाय की दिनांक 25.08.2017 की बैठक के कार्यवृत्त के साथ जिन 50 आयुर्वेदिक एवं 50 यूनानी औषधियों की सूची संलग्न की गयी है उन्हीं औषधियों तथा निर्धारित मात्रा का क्रय सुनिश्चित किया जायेगा।

5- आई0एम0पी0सी0एल0 से इस आशय का एफीडेविट प्राप्त कर लिया जाये कि उनके द्वारा उच्च गुणवत्ता की दवाईयॉ सप्लाई की जायेंगी। निदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा बैचवार रेन्डमाइजेशन (यादृच्छयन) करके कुछ सैम्पल्स सरकार द्वारा अधिकृत टेस्टिंग लैब/शासकीय ड्रग टेस्टिंग लैब से गुणवत्ता सम्बन्धी जॉच करायी जायेगी। यदि गुणवत्ता सही नहीं पायी गई तो आई0एम0पी0सी0एल0 स्वयं के व्यय पर सम्पूर्ण दवाईयों को रिप्लेस करेगा एवं इस आशय का पुनः शपथ-पत्र देगा।

6- आई0एम0पी0सी0एल0 से क्रय किये जाने की स्थिति में उच्च गुणवत्ता एवं न्यूनतम मूल्य निर्धारण करने का उत्तरदायित्व आई0एम0पी0सी0एल0 का होगा। प्राइवेट फार्मा /को-आपरेटिव/अन्य एजेन्सीज से ई-टेन्डर के माध्यम से क्रय किये जाने पर गुणवत्ता एवं बाजार मूल्य से कम दरों पर औषधियों की आपूर्ति का उत्तरदायित्व मिशन निदेशालय का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- जनपदों में आई0एम0पी0सी0एल0 द्वारा जैसे-जैसे दवाईयों की आपूर्ति पूर्ण हो जायेगी वैसे-वैसे सम्बन्धित जनपदों के अधिकारियों (क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों) का यह दायित्व होगा कि वह आपूर्ति का सत्यापन एवं शासकीय/शासकीय अधिकृत टेस्टिंग लैब अथवा प्रयोगशाला से औषधियों की गुणवत्ता का परीक्षण कराकर आपूर्तिकर्ता को भुगतान कर दें।

8- आपूर्ति की गई दवाईयों की भौतिक उपलब्धता एवं मरीजों तक पारदर्शी तरीके से वितरण सुनिश्चित करने हेतु औषधि कंटेनर्स, शीशियों, स्ट्रिप्स आदि के लेबल्स पर क्यू आर कोड (QR Code) अंकित होगा तथा **''आयुष विभाग उत्तर प्रदेश शासन'' द्वारा वितरित ''बिक्री के लिए नहीं''** लिखा होगा जो आई0एम0पी0 सी0 एल0 द्वारा जनरेट कराकर दिया जायेगा। इसके वितरण चेन का प्रबन्धन (सप्लाई चेन) सुनिश्चित करने हेतु कम्प्यूटीकृत प्रणाली मिशन निदेशालय द्वारा विकसित कराकर लागू की जायेगी। क्यू आर कोड रीडर्स के माध्यम से औषधि वितरण एवं आपूर्ति का समेकित रिकार्ड रखा जायेगा।

9- आई0एम0पी0सी0एल0 इस आशय का शपथ-पत्र भी देगा कि आपूर्ति निर्धारित समय पर हो एवं उत्तर प्रदेश के औषधालयों में औषधियों की अबाध उपलब्धता बनी रहे तथा औषधियों के अभाव में प्रदेश के आयुष अस्पतालों में कोई समस्या उत्पन्न न हो।

भवदीय

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव।

संख्या-15/2018/आ0मि0-188(1)/96-आयुष-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- इण्डियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल, कार्पोरेशन लि0 मोहsन, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
5- निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार,नई दिल्ली।
6- वित्त प्रबन्धक, राज्य आयुष सोसाइटी उ0प्र0 लखनऊ
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।